न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0ओ0), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 43/2019
RCMS Id- 2019/00070

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री मोनाराम पुत्र सवाजी जाति घांची निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर		सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

उपस्थिति अधिवक्ता -

1. श्री प्रवीण कुमार घांची (प्रार्थी)
2. राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक :-23/2/2019

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश हुआ। प्रार्थना पत्र का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि सरहद मौजा सांथू के पुराने खसरा नं0 287, 744 व 1495 तथा वर्तमान खसरा नं0 562, 1770 से 1773, 3430 से 3432 व 3463, 3470 कुल रकबा 8.83 हे0 इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 752, 753 व 753/1 के वर्तमान खसरा नं0 1709 से 1723 व 1725 से 1730 कुल रकबा 9.29 हे0 इसी प्रकार उक्त आराजी के पुराने खसरा नं0 1055, 1055/2 व 1055/3 के वर्तमान खसरा नं0 2651 से 2668 कुल रकबा 7.86 हे0 भूमि दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के पिता सवाजी का स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त खातेदार आराजी का म्यूटेशन मुझ प्रार्थी तथा मेरे भाईयों के नाम से भरा गया। जिसमें ग्राम सांथू के नया खाता संख्या 162 की जमाबंदी में भानाराम पि. सवाराम, नया खाता संख्या 163 की जमाबंदी में भाना पि. सविया व नया खाता संख्या 331 की जमाबंदी में माना पि. सवा पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आधार से गलती से प्रार्थी का नाम मोनाराम के स्थान पर भानाराम, भाना, माना कर दिया गया है। इसके पश्चात की तमाम जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम भानाराम, भाना, माना दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेनकार्ड में प्रार्थी का नाम मोनाराम लिखा हुआ है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी की नकल रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में व नया खाता संख्या 162, 163 व 331 की खातेदारी आराजी में प्रार्थी का नाम भानाराम, भाना व माना दर्ज है। जो त्रुटिमात्र लिपिकीय त्रुटि से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार जालोर को नोटिस जारी कर जवाब हेतु तलब किया गया।

तहसीलदार जालोर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गत व हाल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी की रेकर्ड स्थिति की जांच आईएलआर बाकरारोड द्वारा की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में सही नाम मोनाराम पुत्र सवाजी दर्ज है। पुछताछ आदि में प्रार्थी का सही नाम भी मोनाराम पुत्र सवाजी दर्ज होना पाया गया है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी कृषि भमि सरहद मौजा सांथू के वर्तमान खाता संख्या 162 के खसरा नम्बर 562, 1770 से 1773, 3430 से 3432 व 3463, 3470 कुल रकबा 8.83 हे0 में प्रार्थी का नाम भानाराम पुत्र सवाराम, खाता संख्या 163 खसरा नम्बर 1709 से 1723 व 1725 से 1730 कुल रकबा 9.29 हे0 में प्रार्थी का नाम भाना पुत्र सविया एवं खाता संख्या 331 के खसरा नम्बर 2651 से 2668 कुल रकबा 7.86 हे0 में प्रार्थी का नाम माना पुत्र सवा दर्ज है। ग्राम सांथू के उक्त खसरा नम्बरान की गत बंदोबस्त व मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी संवत 2028 से 2031 के पुराने खसरा नम्बर 287, 744, 1495 में प्रार्थी का नाम मोना पुत्र सविया, पुराने खसरा नम्बर 1055, 1055/1 व 1055/2 में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज है। जबकि पुराने खसरा नम्बर 752, 753, 753/1 में प्रार्थी का नाम मोना पुत्र सविया दर्ज है। अतः जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम मोना पुत्र सविया की बजाय माना पुत्र सविया, माना पुत्र सवाराम दर्ज हो गया जो लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी भानाराम, माना एवं मानाराम की बजाय मोनाराम पुत्र सवाजी नाम दुरस्त किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
जालोर (राज.)

उक्त खातेदार का नाम भानाराम, भाना, माना दर्ज किया गया जो प्रथम दृष्टीया ही त्रुटिपूर्ण है जिससे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थी का नाम भानाराम, भाना, माना की जगह राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मोनाराम पुत्र सवाजी दर्ज किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

उक्त विवेचना के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सांथू में प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है। जिसके खाता सं0 162, 163 व 331 के समस्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी का नाम भानाराम, भाना, माना की जगह मोनाराम पुत्र सवाजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार जालोर को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी के नाम को शुद्ध कर राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती की जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23/12/19 को सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) जालोर

उपखण्ड अधिकारी
जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2020.03.02 13:15:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: